2023/273

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
136 धारा	194/23	19/12/23	निर्णित 13/2/24	

अनवान

श्री कमलेशदेवी w/o हरीशचन्द्र धाकड़ — श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी लक्ष्मीखेड़ा — निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री घनश्याम लाल धाकड़ — श्री TDR

2023/273

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

क़िस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
धारा 136 प्रार्थना पत्र	194/23	19/12/23	~~निर्णीत~~ 13/2/24	16/1/24

अनवान

~~कमलेशदेवी w/o हरीशचन्द्र धाकड़~~ श्री ~~राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार~~

निवासी ~~लक्ष्मीखेड़ा तह. बिजौलिया~~ निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री घनश्याम लाल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कमलेश देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा – 136 नम्बर 194 / 2023

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 16 / 1 / 2024 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
4	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/2/24 को वास्ते तलबी/ज. पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	विपक्षी की बाद तामिल प्राप्त होकर बाद तामिल शामिल पत्रावली की गई
24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर निर्णय किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया जावें। विस्तृत निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	फैसल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 194/2023 **दायर तारीख 19.12.2023**

अनवान

कमलेश देवी पत्नि हरीशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र 47 वर्ष निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री घनश्याम लाल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/02/2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा में प्रार्थीया की एक कृषि भूमि खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 780/236 रकबा 0.4290 है0 भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्रार्थीया उक्त खाते पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रही हैं।

खातेदारी भूमि का विक्रय लेख्यपत्र नानालाल, लक्ष्मण, मदन, सीता पिता हीरा, नन्दू बेवा हीरा जाति धाकड़ निवासी जावदा द्वारा कमलेश देवी पत्नि हरीशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा के पक्ष में दिनांक 21.03.2016 को किया गया जो उप पंजीयक कार्यालय बिजौलियां में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 में पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 201603039100294 पर दर्ज है। उक्त विक्रय लेख पत्र का नामान्तरण पटवार हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 833 दिनांक 5.5.2016 द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में दर्ज किया गया जिसमें नामान्तरण की परत में कमलेश देवी पत्नि हरिशचन्द्र साकिन लक्ष्मीखेड़ा दर्ज किया गया जो सही है जबकि पुश्त पर कमलेश देवी के स्थान पर कमलेशीदेवी पत्नि हरिशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा सेवन से कर दिया हैं। जो गलत हैं। जो कि काबिल दुरूस्ती के हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा में प्रार्थीया की एक कृषि भूमि खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 780/236 रकबा 0.4290 है0 भूमि पर प्रार्थीया का नाम कमलेशीदेवी पत्नि हरिशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा के स्थान पर कमलेश देवी पत्नि हरिशचन्द्र साकिन लक्ष्मीखेड़ा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

लगातार पेज संख्या 02 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भील...

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा मानपुरा की जमाबन्दी संवत 2074–2077, मौजा मानपुरा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 प्रस्तुत की, नामान्तरण 833/4/4/20216, रजिस्ट्री की नकल की फोटो प्रति, प्रार्थीया का भामाशाह कार्ड, आरजीएच कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम कमलेशीदेवी पत्नि हरिशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा के स्थान पर कमलेश देवी पत्नि हरिशचन्द्र साकिन लक्ष्मीखेड़ा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना चाहती हैं।

अतः नामान्तरण 833, 04/04/20216, रजिस्ट्री की नकल की फोटो प्रति, प्रार्थीया का भामाशाह कार्ड, आरजीएच कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम कमलेशीदेवी पत्नि हरिशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा के स्थान पर कमलेश देवी पत्नि हरिशचन्द्र साकिन लक्ष्मीखेड़ा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकॉर्ड में कमलेशीदेवी पत्नि हरिशचन्द्र धाकड़ साकिन लक्ष्मीखेड़ा के स्थान पर कमलेश देवी पत्नि हरिशचन्द्र साकिन लक्ष्मीखेड़ा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 13/02/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा